रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जी.जे.-अ.-16042025-262470 CG-GJ-E-16042025-262470

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 305] No. 305] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 16, 2025/चैत्र 26, 1947 NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 16, 2025/CHAITRA 26, 1947

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 11 अप्रैल, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (केवाईसी रजिस्ट्रीकरण अभिकरण) विनियम, 2025

फा.सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/004.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 [अधिनियम 50, 2019] की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण निम्नांकित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय-l

प्रारंभिक संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1 (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (केवाईसी रजिस्ट्रीकरण अभिकरण) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों का अर्थ नीचे निर्दिष्टानुसार होगा, तथा उनके सजातीय भावों की व्याख्या तदनुसार की जाएगी-

2540 GI/2025 (1)

- (क) "अधिनियम" अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से अभिप्रेत है;
- (ख) व्यक्ति के संबंध में "सहयोगी" में कोई ऐसा अन्य व्यक्ति शामिल होगा:
 - जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रथम व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है;
 - ii. जो प्रथम व्यक्ति के कुल मताधिकार के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण रखता है;
 - iii. जो प्रथम व्यक्ति की होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी है:
 - iv. जो प्रथम व्यक्ति का संबंधी है;
 - v. जो हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य है, जिसमें प्रथम व्यक्ति भी सदस्य है;
 - vi. ऐसे अन्य मामले जहां प्राधिकरण की राय है कि किसी व्यक्ति को नियंत्रण की सीमा, स्वतंत्रता और हितों के टकराव सहित तथ्यों और कारकों के आधार पर सहयोगी माना जाएगा।
- (ग) "प्राधिकरण" या "आईएफएससीए" अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से अभिप्रेत है;
- (घ) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए "ग्राहक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी विनियमित एंटिटी के साथ वित्तीय लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसकी ओर से लेनदेन या गतिविधि में लगा हुआ व्यक्ति कार्य कर रहा है;
- (ङ) "अनुपालन अधिकारी" ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से अभिप्रेत है, जिसे इस प्रकार नामित किया गया हो और जो निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता हो, जो वित्तीय विवरणों और इन विनियमों के अधीन विधिक और विनियामक अनुपालन की अपेक्षाओं और आईएफएससी में केवाईसी रजिस्ट्रीकरण अभिकरण की कार्यकलापों के लिए सभी लागू विधिक और विनियामक अपेक्षाओं को समझने में सक्षम हो, जिसमें नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के रखरखाव, जोखिम प्रबंधन और इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रवृत्त आचार संहिता के कार्यान्वयन का अनुपालन शामिल है।
- (च) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से किए जाने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;
- (छ) "विदेशी क्षेत्राधिकार" का तात्पर्य भारत के अलावा किसी ऐसे देश से है, जिसका प्रतिभूति बाजार विनियामक, प्रतिभूति आयोग के अंतरराष्ट्रीय संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्ता) का हस्ताक्षरकर्ता है या प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है, और जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सार्वजनिक वक्तव्य में इस रूप में चिह्नित नहीं किया गया है:
 - ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें कार्यनीतिक धन शोधन निरोधक या आतंकवाद के वित्तपोषण का से निपटना करने संबंधी कमियां हैं, जिन पर प्रति उपाय लागू होते हैं; या
 - ii. ऐसा क्षेत्राधिकार जिसने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के साथ विकसित कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है:
- (ज) "समूह एंटिटी" ऐसे व्यवसाय समूह की एंटिटी से अभिप्रेत है जिसमें मूल कंपनी या किसी अन्य प्रकार का विधिक व्यक्ति शामिल है जो शाखाओं और/या सहायक कंपनियों के साथ समृह के बाकी हिस्सों पर नियंत्रण रखता है;
- (झ) "निरीक्षण प्राधिकरण" इन विनियमों के अनुसार केआरए की बहियों, खातों, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक या अधिक व्यक्तियों से अभिप्रेत है;

- (ञ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" या "आईएफएससी" का वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इसे दिया गया है;
- (ट) "केवाईसी रजिस्ट्रीकरण अभिकरण (केआरए)" ऐसी एंटिटी से अभिप्रेत है जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है:
- (ठ) "निवल मूल्य" का अभिप्राय प्रदत्त शेयर पूंजी का कुल मूल्य और लाभ, प्रतिभूति प्रीमियम खाते और लाभ और हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट शेष से बनाए गए सभी रिजर्व, तुलनपत्र के अनुसार संचित घाटे, आस्थगित व्यय और विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाने के बाद प्राप्त मूल्य से है, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास और समामेलन के राइट-बैक से बनाए गए रिजर्व शामिल नहीं हैं;
- (ड) "प्रधान अधिकारी" केआरए के नामित कर्मचारी से अभिप्रेत है जो केआरए के समग्र कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है;
- (ढ) "विनियमित एंटिटी" ऐसी एंटिटी से अभिप्रेत है जिसे प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस, मान्यता, रजिस्ट्रीकरण या प्राधिकरण प्रदान किया गया है;
- (ण) "सेबी" का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है, जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन की गई है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों, या कंपनी अधिनियम, 2013 [2013 का 18], या इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियमन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में दिए गए हैं।

अध्याय ॥

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन

3. केआरए के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक एंटिटी, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्ररूप और तरीके से आवेदन शुल्क के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा आवेदन प्रस्तुत करेगी।

आवेदक का विधिक रूप

- 4. केआरए के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाले आवेदक को आईएफएससी में एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
 - बशर्ते कि केआरए के समान कार्यकलापों को करने के लिए सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत एंटिटी आईएफएससी में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी या शाखा स्थापित कर सकती है।

निवल मूल्य अपेक्षाएँ

- 5. (1) केआरए के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाली एंटिटी को हर समय कम से कम 1 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवल मुल्य बनाए रखना होगा।
 - (2) जहां सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत एंटिटी द्वारा शाखा के रूप में केआरए स्थापित किया जाएगा, ऐसी एंटिटी द्वारा उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकता को निर्धारित और कोष्ठिकृत किया जाएगा।

उपयुक्त और उचित अपेक्षाएं

- 6. (1) केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि एंटिटी और उसके प्रधान अधिकारी, निदेशक/मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा नियंत्रक शेयरधारक हर समय उपयुक्त और उचित व्यक्ति होंगे।
 - (2) उप-विनियमन (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को उपयुक्त और उचित व्यक्ति माना जाएगा, यदि -

- (क) व्यक्ति के पास निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा का अभिलेख है और जिसमें निम्नांकित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं
 - i. वित्तीय सत्यनिष्ठा;
 - ii. अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; तथा
 - iii. ईमानदारी।
- (ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नांकित में से कोई भी अयोग्यता अर्जित नहीं की है -
 - व्यक्ति को नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध या किसी आर्थिक अपराध या अधिनियम तथा अधिनियम की अनुसूची-I में सूचीबद्ध अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो;
 - ii. ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी भारतीय प्रवर्तन अभिकरण द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो और वह लंबित हो;
 - आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायालय या समकक्ष संस्था द्वारा आरोप-पत्र तैयार किए गए हों;
 - iv. वित्तीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध वसूली कार्यवाही शुरू की गई है और लंबित है;
 - v. व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार के लिए आदेश पारित किया गया है;
 - vi. व्यक्ति को दिवाला घोषित किया गया है और उसे मुक्त नहीं किया गया है;
 - vii. वित्तीय सेवा बाजार से संबंधित किसी मामले में किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति को वित्तीय उत्पाद (उत्पादों) या वित्तीय सेवा(ओं) तक पहुंचने या उनमें सौदा करने से रोकने, निषिद्ध करने या वर्जित करने वाला आदेश पारित किया गया है और ऐसा आदेश प्रभावी है;
 - viii. व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश, जिसका वित्तीय सेवा बाजार पर भौतिक प्रभाव पड़ता है, प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि बीती नहीं है;
 - स्पष्टीकरण. उपरोक्त प्रावधान के लिए, भौतिकता निर्धारित करने का निर्णय प्राधिकरण का होगा।
 - ix. व्यक्ति को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का पाया गया है और यह निष्कर्ष प्रभावी है;
 - x. व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है या उसे जानबूझकर व्यतिक्रमकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
 - xi. व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है: या
 - xii. प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।
- (3) जहां किसी व्यक्ति को नियामक प्राधिकरण के आदेश द्वारा 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' घोषित नहीं किया गया है, ऐसा व्यक्ति तब तक किसी भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह उपयुक्त और उचित मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

प्रधान अधिकारी, अनुपालन अधिकारी और अन्य मानव संसाधन की नियुक्ति

- 7. (1) केआरए आईएफएससी से बाहर एक प्रधान अधिकारी और एक पृथक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा।
 - (2) केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं:
 - (क) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्था या संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वित्त, विधि, लेखा, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या बीमांकिकी में व्यावसायिक योग्यता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्ष की अविधि) या ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स से सीएफए या एफआरएम या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी विदेशी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री पर्याप्त होगी, जहां प्रधान अधिकारी या अनुपालन अधिकारी के पास वित्तीय सेवा बाजार में कम से कम पंद्रह वर्ष का कार्य अनुभव हो:

बशर्ते यह भी कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान या संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक की योग्यता है, वह भी अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है।

स्पष्टीकरण. - इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, व्यावसायिक योग्यता में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में इसके समकक्ष किसी संस्थान की सदस्यता शामिल होगी।

- (3) केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी निम्नांकित अनुभव अपेक्षाओं को पूरा करते हैं:
 - (क) प्रधान अधिकारी के पास वित्तीय सेवा बाजार में कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए
 - (ख) अनुपालन अधिकारी के पास वित्तीय सेवा बाजार में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए
- (4) अनुपालन अधिकारी प्राधिकरण को किसी भी गैर-अनुपालन की तुरंत और स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट करेगा।
- (5) केआरए के पास आईएफएससी में अपने व्यावसायिक कार्यकलापों के अनुरूप पर्याप्त जनशक्ति होगी।

रजिस्टीकरण अपेक्षाएं

- 8. प्राधिकरण उन सभी मामलों, जिन्हें वह केआरए के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाली एंटिटी को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए प्रासंगिक समझता है और विशेष रूप से निम्नांकित को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:
 - क) आवेदक या उसके प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के पास निर्दिष्ट योग्यता और पर्याप्त कार्य अनुभव है या नहीं;
 - ख) आवेदक के पास अपनी कार्यकलापों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण, संचार सुविधाएं और जनशक्ति जैसी आवश्यक अवसंरचना है या नहीं;
 - ग) आवेदक इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट पात्रता मानदंड और निवल संपत्ति अपेक्षाओं को पूरा करता है या नहीं;
 - घ) आवेदक के पास संतोषजनक वित्तीय ऋण पात्रता है या नहीं:

- ङ) आवेदक और उसके प्रधान अधिकारी, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्रक शेयरधारक योग्य और उपयक्त व्यक्ति हैं या नहीं;
- च) आवेदक या उसके किसी सहयोगी को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रमाण पत्र देने से मना किया गया है और यदि ऐसा है, तो ऐसे इनकार का आधार क्या है; और
- छ) आवेदक या उसके प्रधान अधिकारी, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और नियंत्रक शेयरधारक प्राधिकरण द्वारा कानून के उल्लंघन के लिए किसी कार्यवाही के अधीन हैं या नहीं।

रजिस्ट्रीकरण प्रदान करना

- 9. (1) कोई एंटिटी केवल तभी केआरए के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र होगी, यदि वह निम्नांकित श्रेणियों में से किसी एक से संबंधित हो, अर्थात्:
 - (क) भारत में, आईएफएससी में या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में विनियमित स्टॉक एक्सचेंज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी;
 - (ख) भारत में, आईएफएससी में या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में विनियमित निक्षेपागार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी; या
 - (ग) केआरए के समान कार्यकलापों को करने वाली और सेबी द्वारा विनियमित या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में विनियमित एंटिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी;
 बशर्ते कि केआरए के समान कार्यकलापों को करने वाली और सेबी द्वारा विनियमित एंटिटी की
 - बशर्ते यह भी कि केआरए के रूप में आवेदक की भूमिका और आवेदक, उसके सहयोगियों और समृह एंटिटियों की अन्य वाणिज्यिक कार्यकलापों के बीच कोई हितों का टकराव मौजूद न हो।
 - (2) प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करने के पश्चात तथा इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने इन विनियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है तथा वह केआरए के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है, तथा निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण शुल्क प्राप्त होने पर आवेदक को उन शर्तों, जिन्हें प्राधिकरण उचित समझे, के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकता है।

कोई शाखा भी केआरए के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए पात्र होगी;

- (3) यदि प्राधिकरण की राय है कि रजिस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो वह आवेदक को किमयों के बारे में सूचित करेगा तथा उन्हें सुधारने के लिए तीस दिन का समय देगा।
- (4) यदि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुसार ऐसी किमयों को सुधारने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से इंकार कर सकता है तथा आवेदक को इस बारे में सूचित करेगा, तथा ऐसे इंकार के कारण भी बताएगा:
 - बशर्ते कि प्राधिकरण द्वारा ऐसा कोई इंकार आवेदक को उन आधारों पर लिखित रूप से प्रस्तुतीकरण करने का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा, जिन पर रजिस्ट्रीकरण अस्वीकार करने का प्रस्ताव है।
- (5) केआरए निवेशकों के हित में या प्रतिभूति बाजार के व्यवस्थित विकास के लिए या आईएफएससी में केआरए के कामकाज को विनियमित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा लगाई गई किसी भी अन्य शर्त का अनुपालन करेगा।
- (6) केआरए को दिया गया रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा सुनवाई का अवसर देने के बाद वापस लिया जा सकता है।

वैधता की अवधि

10. केआरए का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाता या केआरए द्वारा वापस नहीं कर दिया जाता और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं कर लिया जाता है।

रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण

- 11. रजिस्ट्रीकृत केआरए अपने रजिस्ट्रीकरण के अभ्यर्पण के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन फ़ाइल कर सकता है: स्पष्टीकरण: रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण प्राधिकरण द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा। आचार संहिता
- 12. केआरए अनुसूची I में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा।

खाता बहियों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव

- 13. (1) केआरए कम से कम आठ वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पुनर्प्राप्ति रूप में निम्नांकित खाता बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों का रखरखाव करेगा और उन्हें परिरक्षित करेगा, अर्थात्: -
 - (क) प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में तुलनपत्र की प्रति;
 - (ख) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए लाभ और हानि खाते की प्रति;
 - (ग) प्रत्येक लेखा अवधि के लिए खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति;
 - (घ) प्रत्येक तिमाही के लिए निवल मूल्य का विवरण;
 - (ङ) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन निरोधक और आतंकवाद वित्तपोषण से निपटना तथा अपने ग्राहक को जानें) दिशानिदेश, 2022 के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज;
 - (च) प्रत्येक ग्राहक के खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज और ग्राहकों के किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी या ग्राहक का हस्ताक्षर प्राधिकरण प्ररूप;
 - (छ) इसकी कार्यकलापों से संबंधित प्रासंगिक अभिलेख अभिलेख दस्तावेज; और
 - (ज) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट अन्य खाता बही, अभिलेख और दस्तावेज।
- (2) केआरए ग्राहक के केवाईसी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) या उसके अधीन जारी नियमों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए बनाए रखेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि निर्धारित समय अवधि के भीतर केवाईसी जानकारी की पुनर्प्राप्ति की सुविधा हो।

प्राधिकरण को सूचना

- 14. (1) केआरए को आवेदन के साथ पहले दी गई सूचना या विवरण में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन तुरंत प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा, जिसका उसे दिए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर प्रभाव पड़ता हो।
 - (2) केआरए को प्राधिकरण के प्रधान अधिकारी, अनुपालन अधिकारी या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में किसी भी परिवर्तन की सचना ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर प्राधिकरण को देनी होगी।
 - (3) केआरए को ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न, विवरण और व्यष्टियाँ प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट विधि, अंतराल और रूप में प्रस्तुत करनी होंगी।

शिकायत निवारण

- 15. (1) केआरए को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे।
 - (2) केआरए को निवेशकों द्वारा प्राप्त शिकायतों तथा ऐसी शिकायतों के निवारण के बारे में अभिलेख रखने होंगे।

विवाद समाधान

16. आईएफएससी में केआरए की कार्यकलापों से उत्पन्न या उससे संबंधित किसी भी विवाद का समाधान प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट विवाद समाधान तंत्र के अनुसार किया जाएगा।

व्यवसाय निरंतरता योजना

- 17. (1) केआरए को आपातकालीन या महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यवधान से संबंधित प्रक्रियाओं की पहचान करने वाली व्यवसाय निरंतरता योजना बनाए रखनी होगी।
 - (2) केआरए को परिचालन, संरचना, व्यवसाय या स्थान में किसी भी भौतिक परिवर्तन की स्थिति में अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना को अद्यतन करना होगा।
 - (3) केआरए को अपनी व्यवसाय निरंतरता योजना की वार्षिक समीक्षा करनी होगी।

साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन

- 18. केआरए के पास समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सुदृढ़ साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचा होना चाहिए।
- 19. (1) केआरए के पास जोखिमों के व्यापक प्रबंधन के लिए ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणाली होनी चाहिए।
 - (2) केआरए के पास ग्राहकों और उनकी परिसंपत्तियों के हितों की रक्षा करने और जोखिम का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, जिस प्रकार के व्यवसाय में वह संलग्न है (आउटसोर्स की गई किसी भी गतिविधि सहित) को देखते हुए पर्याप्त आंतरिक प्रक्रियाएं और नियंत्रण होने चाहिए।

नियंत्रण में परिवर्तन

- 20. (1) जहां केआरए आईएफएससी में कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा,, उसे केआरए के नियंत्रण में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन के मामले में प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
 - (2) जहां केआरए आईएफएससी में एक शाखा के रूप में कार्य कर रहा है, उसे केआरए के नियंत्रण में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को सूचित करना होगा।

शुल्क का भुगतान

21. केआरए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करेगा।

वार्षिक लेखापरीक्षा

- 22. (1) केआरए इन विनियमों के अनुपालन के संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के सदस्य या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य या भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य या विदेशी क्षेत्राधिकार में लेखापरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा कराएगा।
 - (2) किसी वित्तीय वर्ष के लिए ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति अगले वर्ष की 30 सितंबर तक प्राधिकरण को प्रस्तुत करनी होगी।
 - (3) केआरए अतिरिक्त लेखापरीक्षा कराएगा और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की गई रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अध्याय ॥

केआरए और विनियमित एंटिटी के कार्य और दायित्व

केवाईसी के उद्देश्य से केआरए द्वारा प्राप्त किए जाने वाले दस्तावेज

23. केआरए को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (धन शोधन निरोधक, आतंकवाद वित्तपोषण से निपटना और अपने ग्राहक को जानिए) दिशानिदेश, 2022 या उक्त दिशानिदेशों के अधीन जारी किए गए किसी परिपत्र, निदेश आदि या धन शोधन की रोकथाम के लिए किसी अन्य प्रासंगिक विधि के अनुसार विनियमित एंटिटी से ग्राहक के केवाईसी दस्तावेज़ प्राप्त करने होंगे।

केआरए के कार्य और दायित्व

- 24. केआरए अपने कार्य और दायित्वों का निर्वहन निम्नानुसार करेगा-
 - (क) केआरए के पास केआरए के बीच अंतर-संचालन स्थापित करने के लिए आईएफएससी में अन्य केआरए के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी होगी।

केवाईसी दस्तावेज किसी अन्य केआरए के संरक्षण में हैं या नहीं।

- (ख) केआरए के पास अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के साथ रजिस्ट्रीकृत केआरए के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी भी हो सकती है, ताकि अन्य अधिकार क्षेत्रों के केआरए के साथ अंतर-संचालन स्थापित किया जा सके।

 स्पष्टीकरण: अंतर-संचालन केआरए की यह निर्धारित करने की क्षमता से अभिप्रेत है कि ग्राहक के
- (ग) केआरए के पास अन्य केआरए के साथ और प्रत्येक विनियमित एंटिटी के साथ परिरक्षित डेटा ट्रांसिमशन लिंक होगा जो केवाईसी दस्तावेजों को अपने सिस्टम पर अपलोड करता है और उसके डेटा पर निर्भर करता है।
- (घ) केआरए केवाईसी दस्तावेजों को संग्रहीत करने, सुरक्षित रखने और पुनः प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा और आवश्यकतानुसार प्राधिकरण या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- (ङ) केआरए विनियमित एंटिटी द्वारा अपने सिस्टम पर अपलोड किए गए केवाईसी अभिलेख का समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट स्वतंत्र सत्यापन करेगा।
- (च) किसी ग्राहक के बारे में अद्यतन की गई कोई भी जानकारी केआरए द्वारा उन सभी मध्यस्थों को प्रसारित की जाएगी जो उस ग्राहक के संबंध में केआरए की सेवाओं का लाभ उठाते हैं।
- (छ) केआरए अन्य केआरए के साथ समन्वय में परिचालन निदेश तैयार कर सकता है और इन विनियमों की अपेक्षाओं को लागू करने के लिए उन्हें जारी कर सकता है।
- (ज) केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के लिए स्वचालित डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम की अखंडता हर समय बनी रहे।
- (झ) केआरए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा कि केवाईसी दस्तावेज/अभिलेख खो न जाएं, नष्ट न हो जाएं या उनके साथ कोई छेड़छाड़ न हो और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पर्याप्त बैकअप हर समय किसी पृथक स्थान पर उपलब्ध हो।
- (ञ) केआरए के पास अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी और मुल्यांकन के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त तंत्र होंगे।
- (ट) केआरए अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का समय-समय पर ऑडिट कराएगा और कमियाँ, यदि कोई हो, के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करेगा और प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।
- (ठ) केआरए अपने डेटाबेस तक अनिधकृत पहुँच को रोकने के लिए सभी उचित उपाय करेगा और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर अपने सिस्टम, नियंत्रण, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों का ऑडिट सुनिश्चित करेगा।
- (ड) केआरए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम, 2023 के उपबंधों और डेटा सुरक्षा को नियंत्रित करने वाले किसी भी अन्य प्रभावी विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (ढ) केआरए के पास अपने सिस्टम में प्रासंगिक परीक्षण होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियमित एंटिटी को केवल अपने ग्राहक की सहमित से, ग्राहकों के दस्तावेज़ों/अभिलेख या जानकारी तक पहुँच हो।
- (ण) केआरए विनियमित एंटिटी से केवाईसी दस्तावेज प्राप्त होने के बाद प्रत्येक ग्राहक को सूचित करेगा, जिसमें ग्राहक के विवरण की पृष्टि की जाएगी।
- (त) केआरए प्रत्येक ग्राहक के केवाईसी अभिलेख के संबंध में किसी भी अपलोड/संशोधन/डाउनलोड का ऑडिट ट्रेल बनाए रखेगा।

विनियमित एंटिटी के कार्य और दायित्व

25. विनियमित एंटिटी के निम्नांकित कार्य और दायित्व होंगे -

(क) विनियमित एंटिटी ग्राहक की प्रारंभिक केवाईसी/उचित जांच करेगी, केआरए की प्रणाली पर उचित प्रमाणीकरण के साथ केवाईसी जानकारी अपलोड करेगी, केआरए को केवाईसी दस्तावेजों की स्कैन की गई छवियां प्रदान करेगी, और भौतिक केवाईसी दस्तावेजों को बनाए रखेगी।

- (ख) विनियमित एंटिटी केवाईसी प्रक्रिया पूरी होने की तारीख से 3 कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य समयसीमा के भीतर केआरए की प्रणाली पर केवाईसी जानकारी अपलोड करेगी।
- (ग) जब ग्राहक बाद में किसी अन्य विनियमित एंटिटी से संपर्क करता है, तो विनियमित एंटिटी केआरए की प्रणाली से ग्राहक के विवरण को सत्यापित और डाउनलोड करेगी:

 बशर्ते कि विनियमित एंटिटी द्वारा ग्राहकों के केवाईसी विवरण और स्थिति में परिवर्तन की जानकारी
 - प्राप्त कि विनियमित एटिटा द्वारा ग्राहकों के कैवाइसा विवरण और स्थित में परिवर्तन की जनिकारा प्राप्त होने पर या जब यह किसी भी स्तर पर विनियमित एंटिटी के ज्ञान में आता है, तो विनियमित एंटिटी केआरए की प्रणाली पर अद्यतन जानकारी अपलोड करने और भौतिक दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (घ) विनियमित एंटिटी केआरए से प्राप्त ग्राहक के केवाईसी डेटा का उपयोग उसके उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगी; न ही इसे अपने सहयोगियों या एसोसिएट्स सहित किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा करके कोई व्यावसायिक लाभ कमाएगी।
- (ङ) विनियमित एंटिटी की अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप उन्नत केवाईसी उपाय करके अपने ग्राहकों की केवाईसी के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी होगी।
- (च) विनियमित एंटिटी केआरए से केवाईसी दस्तावेजों के निर्बाध आवागमन को सुगम बनाने के लिए अपने सिस्टम को केआरए के साथ एकीकृत करेगी।

 बशर्ते कि प्राधिकरण प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद विनियमित एंटिटियों के कुछ वर्गों को इन विनियमों की प्रयोज्यता से छट दे सकता है।

वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी सूचना को साझा करना

- 26. (1) केआरए अपने ग्राहकों के केवाईसी के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य वित्तीय क्षेत्र विनियामकों द्वारा विनियमित संस्थाओं को अपने सिस्टम तक पहुंच की अनुमति दे सकता है।
 - (2) केआरए वित्तीय क्षेत्र में केवाईसी सूचना के संग्रहण और साझाकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से अपने सिस्टम को जोड़ सकता है।

अध्याय IV

निरीक्षण

निरीक्षण प्राधिकारी

- 27. (1) प्राधिकरण किसी भी समय सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर किसी भी उद्देश्य के लिए, जिसमें उप-विनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्य शामिल हैं, केआरए की बहियों, खातों, अभिलेखों, दस्तावेजों, बुनियादी ढांचे, प्रक्रियाओं, प्रणालियों का निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।
 - (2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट उद्देश्यों में शामिल हो सकते हैं, -
 - (क) यह सुनिश्चित करना कि खाता बही, अभिलेख और दस्तावेज इन विनियमों के अधीन अपेक्षित तरीके से बनाए रखे जा रहे हैं;
 - (ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के उपबंधों, विनियमों और उसके अधीन बनाए गए परिपत्रों का अनुपालन किया जाता है:
 - (ग) यह पता लगाना कि क्या इन विनियमों के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए के आरए द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं या उनका पालन किया जा रहा है;
 - (घ) यह पता लगाना कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियाँ विद्यामान हैं जो केआरए को अयोग्य या अपात्र बनाती हैं:

- (ङ) केआरए की कार्यकलापों पर असर डालने वाले किसी भी मामले पर निवेशकों, ग्राहकों, अन्य बाजार प्रतिभागियों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करना; और
- (च) आईएफएससी में निवेशकों या वित्तीय सेवा बाजार के हित में उचित समझे जाने वाले मामलों की स्वप्नेरणा से जांच करना।
- (3) उप-विनियम (1) के अधीन निरीक्षण करने से पहले, निरीक्षण प्राधिकारी केआरए को पूर्व सूचना जारी करेगा: बशर्ते कि जहां निरीक्षण प्राधिकारी संतुष्ट हो कि निवेशकों के हित में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए, वहां वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे नोटिस देने की अनिवार्यता से छुट दे सकता है।

प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण पर दायित्व

- 28. (1) जहां प्राधिकरण द्वारा केआरए का निरीक्षण किया जाता है, ऐसे केआरए और केआरए के प्रत्येक प्रधान अधिकारी, निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, अधिकारी, कर्मचारी और कोई भी एजेंट निरीक्षण प्राधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और सहयोग करेगा तथा निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए समय के भीतर अपनी कार्यकलापों से संबंधित विवरण और जानकारी के साथ लेखा बहियाँ, अभिलेख और दस्तावेज निरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
 - (2) केआरए निरीक्षण के संबंध में आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी को अपने परिसर में उचित पहुंच की अनुमति देगा और अपने कब्जे में किसी भी लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच करने के लिए उचित सुविधा प्रदान करेगा, और निरीक्षण प्राधिकारी की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक अभिलेखों या दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी प्रदान करेगा।
- (3) निरीक्षण के दौरान निरीक्षण प्राधिकरण किसी भी प्रधान अधिकारी, निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अधिकारी, कर्मचारी और केआरए के किसी भी एजेंट के वक्तव्यों की जांच या अभिलेख करने का हकदार होगा।
- (4) प्रत्येक प्रधान अधिकारी, निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अधिकारी, कर्मचारी और केआरए के किसी भी एजेंट का यह कर्तव्य होगा कि वे निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के संबंध में ऐसी सारी सहायता प्रदान करें, जिसकी निरीक्षण अधिकारी को आवश्यकता हो।

29. तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण

- (1) प्राधिकरण किसी केआरए की खाता बही, अभिलेख, दस्तावेज, अवसंरचना, प्रणाली और प्रक्रियाओं या मामलों का निरीक्षण करने के लिए किसी व्यावसायिक को नियुक्त कर सकता है:
- बशर्ते कि इस तरह नियुक्त किए गए ऐसे व्यावसायिक के पास निरीक्षण प्राधिकरण की समान शक्तियां होंगी:
- इसके अलावा, जैसा कि ऐसे निरीक्षण के संबंध में विनियमन 27 में निर्दिष्ट है, केआरए और उसके कर्मचारियों के पास तीसरे पक्ष के व्यावसायिक के प्रति वही दायित्व होंगे जो उनके पास निरीक्षण प्राधिकरण के प्रति हैं।
- (2) प्राधिकरण, ऐसे निरीक्षण से संबंधित तृतीय पक्ष के व्यावसायिक को भुगतान की गई फीस सहित व्यय को केआरए से वसूलने का हकदार होगा।

30. रिपोर्ट प्रस्तुत करना

निरीक्षण प्राधिकरण, प्राधिकरण को अंतरिम रिपोर्ट सहित निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, तथा प्राधिकरण ऐसी रिपोर्ट पर, जैसी वह उचित और उपयुक्त समझे, कार्रवाई कर सकता है,:

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है, तो निरीक्षण प्राधिकरण अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।

अध्याय V

व्यतिक्रम के मामले में कार्रवाई

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण या कोई अन्य कार्रवाई

31. (1) कोई केआरए जो इन विनियमों, दिशा-निर्देशों, परिपत्रों या इसके अधीन बनाए गए निर्देशों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह अधिनियम के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें रजिस्ट्रीकरण का निलंबन या रद्द करना शामिल है।

(2) उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट कोई भी प्रवर्तन कार्रवाई केआरए को अपनी दलीलें रखने का उचित अवसर दिए बिना नहीं की जाएगी।

अध्याय VI

विविध

32. सूचना मांगने की शक्ति

प्राधिकरण केआरए से कोई भी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख मांग सकता है।

33. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

34. विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति

- (1) प्राधिकरण, आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार के विकास के हित में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के सख्त प्रवर्तन में ढील दे सकता है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, विवरण और जिन आधारों पर ऐसी छूट मांगी गई है, उन्हें देते हुए आवेदन प्राधिकरण के पास प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ फ़ाइल किया जाएगा।
- (3) प्राधिकरण ऐसे आवेदन को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर संसाधित करेगा, जो मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तरों सहित सभी मामलों में पूर्ण होगा और आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगा।

35. प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों या दिशानिदेशों या निदेशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएं, , विधियां, अतिरिक्त आवश्यकताएं आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

बशर्ते कि जहां निरीक्षण प्राधिकारी संतुष्ट हो कि निवेशकों के हित में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए, वहां वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे नोटिस की अनिवार्यता से छट दे सकता है।

अनुसूची-।

आचार संहिता

(विनियमन 12)

- 1. केआरए अपने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए सभी प्रयास करेगा।
- 2. केआरए अपने व्यवसाय के संचालन में ईमानदारी, गरिमा और निष्पक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखेगा।
- 3. केआरए अपने दायित्वों को शीघ्र, नैतिक और व्यावसायिक तरीके से पूरा करेगा।
- 4. केआरए हर समय उचित परिश्रम करेगा, उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेगा।
- 5. केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रीकरण स्थिति में कोई भी परिवर्तन/प्राधिकरण द्वारा की गई कोई भी दंडात्मक कार्रवाई या वित्तीय स्थिति में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन जो ग्राहकों के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, उसे तुरंत अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
- 6. केआरए अपने ग्राहकों की पूर्व अनुमित के बिना, ग्राहकों के बारे में कोई भी गोपनीय जानकारी जो उसके ज्ञान में आई है, उसे मौखिक रूप से या लिखित रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी प्रकट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जब ऐसा प्रकटीकरण किसी भी कानून के अनुपालन में किए जाने की आवश्यकता हो।
- 7. केआरए किसी भी अनुचित प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होगा।

- 8. केआरए अपनी वेबसाइट पर अपने व्यवसाय के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेगा, जिसमें व्यक्तियों के संपर्क विवरण और ग्राहकों के लिए उपलब्ध सेवाएँ शामिल हैं।
- 9. केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों की शिकायतों का समय पर और उचित तरीके से निवारण किया जाए।
- 10. केआरए गलत बयानी से बचने के लिए उचित प्रयास करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों और मध्यस्थों को प्रदान की गई जानकारी भ्रामक न हो।
- 11. केआरए अधिनियम के उपबंधों और सरकार और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, जैसा भी लागू हो, का पालन करेगा।
- 12. केआरए प्राधिकरण को प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज़, रिपोर्ट, कागजात या सूचना में असत्य कथन नहीं करेगा या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को नहीं छिपाएगा।
- 13. केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण को प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक निकाय के किसी कानून, नियम, विनियमन और निर्देशों के किसी भी भौतिक उल्लंघन या गैर-अनुपालन के संबंध में उसके विरुद्ध शुरू की गई किसी भी कार्रवाई, कानूनी कार्यवाही आदि के बारे में तुरंत सूचित किया जाए।
- 14. केआरए या उसके किसी भी कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से सुलभ मीडिया में किसी भी सुरक्षा के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई निवेश सलाह नहीं देनी चाहिए।
- 15. केआरए किसी भी ग्राहक को कोई सिफारिश नहीं करेगा, जिस पर किसी भी प्रतिभूति को प्राप्त करने, निपटाने या बनाए रखने के लिए उस पर भरोसा करने की आशा की जा सकती है।
- 16. केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवसाय करने के लिए उसके द्वारा तैनात या नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति उपयुक्त और उचित है और अन्यथा नियोजित या नियुक्त की गई क्षमता में कार्य करने के लिए योग्य है, जिसमें प्रासंगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण या अनुभव शामिल है।
- 17. केआरए के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और वित्तीय और परिचालन क्षमताएं होंगी, जिनसे उचित रूप से इसके संचालन, इसके ग्राहकों को चोरी, धोखाधड़ी और अन्य बेईमानीपूर्ण कृत्यों, व्यावसायिक कदाचार या व्यतिक्रम से होने वाली वित्तीय हानि से बचाने की आशा की जा सकती है।
- 18. केआरए अपने व्यवसाय के संचालन के संबंध में अपने कर्मचारियों के कार्यों या व्यतिक्रम के लिए उत्तरदायी होगा।
- 19. केआरए अपने कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपने अनुपालन अधिकारी को पर्याप्त स्वतंत्रता और शक्तियाँ प्रदान करेगा।
- 20. केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि वरिष्ठ प्रबंधन, विशेष रूप से निर्णयकर्ताओं को समय पर व्यवसाय के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुँच हो।
- 21. केआरए यह सुनिश्चित करेगा कि अच्छी कारपोरेट नीतियाँ और कारपोरेट प्रशासन प्रवृत्त हों।
- 22. केआरए के पास अपने ग्राहकों को निष्पक्ष, शीघ्र और सक्षम सेवाएँ प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी और व्यवस्थाएँ होनी चाहिए।
- 23. केआरए अपने आंतरिक संचालन को नियंत्रित करने और अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उचित आचरण के अपने मानकों को निर्धारित करने के लिए अपनी आंतरिक आचार संहिता विकसित करेगा। ऐसी संहिता व्यावसायिक उत्कृष्टता और मानकों, अखंडता, गोपनीयता, निष्पक्षता, हितों के टकराव से बचने. शेयरधारिता और हितों के प्रकटीकरण आदि के रखरखाव तक विस्तारित की जा सकती है।
- 24. के आरए निम्नांकित में से किसी का भी पक्ष नहीं होगा-
 - (क) फर्जी बाजार का निर्माण;
 - (ख) मूल्य में हेराफेरी या हेरफेर;
 - (ग) किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और सूचीबद्ध होने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में अप्रकाशित मुल्य संवेदनशील जानकारी किसी भी व्यक्ति को देना।

- 25. केआरए सभी प्रकार के प्राप्त और सभी रूपों में भेजे जाने वाले मेल के लिए उचित आवक और जावक प्रणाली बनाए रखेगा।
- 26. केआरए डेटा सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करने वाले सत्यापन तंत्र के साथ स्वचालित प्रणाली को लागू करेगा।
- 27. केआरए बाजार संतुलन को विकृत्त करने या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्राहक की केवाईसी जानकारी की पहचान, सत्यापन और अद्यतन करने की प्रक्रिया में हेरफेर, धोखाधड़ी के कृत्यों में संलिप्त नहीं होगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./37/2025-26]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 11th April, 2025

International Financial Services Centres Authority (KYC Registration Agency) Regulations, 2025

F. No. IFSCA/GN/2025/004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 [Act 50 of 2019]; the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title and commencement

- 1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (KYC Registration Agency) Regulations, 2025.
 - (2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions

- 2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly-
 - (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) "Associate", in relation to a person, shall include another person:
 - (i) who, directly or indirectly, by himself or in combination with other persons, exercises control over the first person;
 - (ii) who holds control of at least twenty per cent. of the total voting rights of the first person;
 - (iii) who is a holding company or a subsidiary company of the first person;
 - (iv) who is a relative of the first person;
 - (v) who is a member of a Hindu Undivided Family wherein the first person is also a member;
 - (vi) such other cases where the Authority is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence and conflict of interest.
 - (c) "Authority" or "IFSCA" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;
 - (d) "Client", for the purpose of these regulations, means a person who is engaged in a financial transaction or activity with a Regulated Entity and includes a person on whose behalf the person engaged in the transaction or activity, is acting;
 - (e) "Compliance Officer" means any senior officer, designated so and reporting to the board of directors who is capable of understanding the financial statements and the requirements for legal and regulatory compliances under these regulations and all applicable legal and regulatory requirements for the activities of the KYC

- Registration Agency in the IFSC, including compliance of policies, procedures, maintenance of records, risk management, and implementation of the applicable code of conduct specified in these regulations;
- (f) "Control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;
- (g) "Foreign Jurisdiction" means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission's Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A signatories) or a signatory to bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
 - i. a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (h) "Group Entity" means an entity of a business group that consists of a parent company or of any other type of legal person exercising control over the rest of the group, together with branches and/or subsidiaries;
- (i) "Inspecting Authority" means one or more persons appointed by the Authority to undertake inspection of the books, accounts, records and documents of a KRA in terms of these regulations;
- (j) "International Financial Services Centre" or "IFSC" shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (k) "KYC Registration Agency (KRA)" means an entity which has been granted certificate of registration under these regulations;
- (1) "Net Worth" means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation;
- (m) "Principal Officer" means a designated employee of the KRA responsible for overall activities of the KRA;
- (n) "Regulated Entity" means an entity which has been granted license, recognition, registration or authorisation by the Authority;
- (o) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013 [18 of 2013], or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION

Application for grant of certificate of registration

3. An entity desirous of obtaining a certificate of registration as a KRA shall submit, electronically or otherwise, an application along with the application fees in such form and manner as may be specified by the Authority.

Legal form of the Applicant

4. The applicant seeking registration as a KRA shall be set up in the IFSC in the form of a Company.

Provided that an entity registered with the SEBI to undertake activities similar to those of a KRA may set up a wholly owned subsidiary or a branch in the IFSC.

Net Worth requirements

- 5. (1) An entity seeking registration as a KRA shall maintain the Net Worth of at least USD 1 Million at all times.
 - (2) Where a KRA is set up in the form of a branch by the entity registered with the SEBI, the minimum net worth requirement, as specified in sub-regulation (1), shall be earmarked and ringfenced by such entity.

Fit and proper requirements

- **6.** (1) A KRA shall ensure that the entity and its Principal Officer, directors/ key managerial personnel and controlling shareholders shall be fit and proper persons, at all times.
 - (2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if, -
 - (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
 - (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty.
 - (b) such person has not incurred any of the following disqualifications
 - (i) the person has been convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence under the Act and the other Acts listed in Schedule-I of the Act;
 - (ii) charge sheet has been filed against such person by any Indian enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
 - (iii) charges have been framed by a court of law or an equivalent institution in matters concerning economic offences;
 - (iv) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
 - (v) an order has been passed against the person for malfeasance;
 - (vi) the person has been declared insolvent and not discharged;
 - (vii)an order, restraining, prohibiting or debarring the person from accessing or dealing in financial product (s) or financial service (s), has been passed by any regulatory authority, in any matter concerning financial services market and such order is in force;
 - (viii) any other order against the person, which has a material bearing on the financial services market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
 - **Explanation.** For the above provision, the decision to determine materiality shall be that of the Authority.
 - (ix) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
 - (x) the person is financially not sound or has been categorised as a willful defaulter;
 - (xi) the person has been declared a fugitive economic offender; or
 - (xii) any other disqualification as may be specified by the Authority.
 - (3) Where any person has been declared as not 'fit and proper person' by an order of a regulatory authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration, until she satisfies the fit and proper criteria.

Appointment of Principal Officer, Compliance Officer and other human resources

- 7. (1) A KRA shall designate a Principal Officer, and a separate Compliance Officer based out of IFSC.
 - (2) A KRA shall ensure that the Principal Officer and the Compliance Officer meet the following educational qualification requirements:
 - (a) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma (minimum one year in duration) in finance, law, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association or a CFA or a FRM from Global Association of Risk Professionals or any other relevant educational qualifications as may be specified by the Authority:

Provided that a graduation degree in any field from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a foreign university would suffice where the Principal Officer or the Compliance Officer has a work experience of at least fifteen years in the financial services market:

Provided further that a person who has a qualification of Bachelor of Law from a university, or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association is also eligible for appointment as a Compliance Officer.

Explanation. - For the purposes of these regulations, the professional qualification shall include membership of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost Accountants of India or any institution equivalent thereto in a Foreign Jurisdiction.

- (3) A KRA shall ensure that the Principal Officer and Compliance Officer meet the following experience requirements:
 - (a) A Principal Officer shall have an experience of at least ten years in the financial services market; and
 - (b) A Compliance Officer shall have an experience of at least five years in the financial services market.
- (4) The Compliance Officer shall immediately and independently report to the Authority any non-compliance.
- (5) A KRA shall have adequate manpower commensurate with its business activities in the IFSC.

Registration Requirements

- **8.** The Authority shall take into account all matters which it deems relevant for grant of registration to the entity seeking registration as KRA and in particular the following, namely, whether:
 - a) the applicant or its Principal Officer and Compliance Officer have the specified qualification and adequate work experience;
 - b) the applicant has the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to effectively discharge its activities;
 - c) the applicant satisfies the eligibility criteria and Net Worth requirements as specified under these regulations;
 - d) the applicant has satisfactory financial credit worthiness;
 - e) the applicant and its Principal Officers, directors, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons;
 - f) the applicant or any of its Associates have in the past been refused certificate by the Authority and if so, the ground for such refusal; and
 - g) the applicant or its Principal Officers, directors, key managerial personnel and controlling shareholders are subject to any proceeding for breach of law by the Authority.

Grant of Registration

- **9.** (1) An entity shall be eligible to be registered as KRA only if it belongs to one of the following categories, namely:
 - (a) a wholly owned subsidiary of a stock exchange regulated in India, in the IFSC or in a Foreign Jurisdiction;
 - (b) a wholly owned subsidiary of a depository regulated in India, in the IFSC or in a Foreign Jurisdiction; or
 - (c) a wholly owned subsidiary of an entity undertaking activities similar to those of a KRA and regulated by SEBI or regulated in a Foreign Jurisdiction;

Provided that a branch of an entity undertaking activities similar to those of a KRA and regulated by SEBI shall also be eligible to be registered as a KRA;

Provided further that any conflict of interest does not exist between the role of the applicant as KRA and other commercial activities of the applicant, its Associates and Group Entities.

- (2) The Authority may, after considering the application and on being satisfied that the applicant has complied with the conditions laid down in these regulations and is eligible to act as a KRA, and upon receipt of specified registration fees grant registration to the applicant subject to the conditions as the Authority may deem fit.
- (3) If the Authority is of the opinion that the registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty days' time to rectify them.
- (4) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may refuse to grant registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons for such refusal:

Provided that no such refusal shall be made by the Authority without giving the Applicant an opportunity to make written submissions on the grounds on which the registration is proposed to be refused.

- (5) The KRA shall comply with any other condition as may be imposed by the Authority as it deems fit in the interest of the investors or orderly development of the securities market or for regulating the working of the KRA, in the IFSC.
- (6) The registration granted to a KRA may be withdrawn by the Authority after giving an opportunity of being heard.

Period of validity

10. The certificate of registration of a KRA shall be valid unless it is suspended or cancelled by the Authority or surrendered by the KRA and accepted by the Authority.

Surrender of Registration

11. A registered KRA may file an application with the Authority for surrender of its registration:

Explanation: The voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority.

Code of Conduct

12. A KRA shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule I.

Maintenance of books of account, records and other documents

- **13.** (1) A KRA shall maintain and preserve the following books of accounts, records and documents, in electronic retrieval form for a minimum of eight years, namely: -
 - (a) a copy of the balance sheet at the end of each accounting period;
 - (b) a copy of profit and loss account for each accounting period;
 - (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period;
 - (d) a statement of Net Worth for each quarter;
 - (e) documentation relating to compliance with International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022;
 - (f) documents relating to account opening of each Client and any power of attorney or signature authority forms of the Clients;
 - (g) relevant records and documents relating to its activities; and
 - (h) such other books of accounts, records and documents as may be specified by the Authority from time to time.
 - (2) A KRA shall retain the KYC documents of the Client, in electronic form for the period specified by the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) or the rules issued thereunder, as well as ensuring that retrieval of KYC information is facilitated within stipulated time period.

Information to the Authority

- **14.** (1) A KRA shall immediately furnish to the Authority any material change in the information or particulars previously furnished along with the application, which has a bearing on the certificate of registration granted to it.
 - (2) A KRA shall intimate to the Authority any change in Principal Officer, Compliance Officer or key managerial personnel to the Authority, within 15 days of such change.
 - (3) A KRA shall furnish such reports, returns, statements and particulars, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority from time to time.

Grievance Redressal

- **15.** (1) A KRA shall take adequate steps for redressal of the grievances of the consumers in accordance with the requirements as may be specified by the Authority.
 - (2) The KRA shall maintain records regarding investor grievances received by it and redress of such grievances.

Dispute Resolution

16. Any dispute arising out of or in relation to the activities of the KRA in IFSC shall be resolved in accordance with the dispute resolution mechanism as may be specified by the Authority.

Business Continuity Plan

- **17.** (1) A KRA shall maintain a business continuity plan identifying procedures relating to an emergency or significant business disruption.
 - (2) A KRA shall update its business continuity plan in the event of any material change to operations, structure, business, or location.
 - (3) A KRA shall conduct an annual review of its business continuity plan.

Cyber Security and Cyber Resilience

18. A KRA shall have robust cyber security and cyber resilience framework in accordance with the requirements as may be specified by the Authority from time to time.

Risk Management and Internal Controls

- 19. (1) A KRA shall have a sound risk management system for comprehensively managing risks.
 - (2) A KRA shall have adequate internal procedures and controls, given the types of business in which it engages (including any activities which have been outsourced) with the aim of protecting the interests of Clients and their assets and ensuring proper management of risk.

Change in Control

- **20.** (1) Where a KRA is set up in the IFSC in the form of a Company, it shall seek prior approval of the Authority in case of any direct or indirect change in control of the KRA.
 - (2) Where a KRA is operating in the form of a branch in the IFSC, it shall intimate the Authority within fifteen days of any direct or indirect change in control of the KRA.

Payment of Fees

21. A KRA shall pay the fees as may be specified by the Authority.

Annual Audit

- 22. (1) A KRA shall have an annual audit conducted in respect of compliance with these regulations, by a member of the Institute of Chartered Accountants of India or a member of the Institute of Company Secretaries of India or a member of the Institute of Cost Accountants of India or any person authorised to conduct audit in a Foreign Jurisdiction.
 - (2) A copy of such audit report for a financial year shall be furnished to the Authority by the 30th of September of the next year.
 - (3) A KRA shall have additional audits conducted and submit such reports as may be specified by the Authority.

CHAPTER III

FUNCTIONS AND OBLIGATIONS OF KRA AND REGULATED ENTITY

Documents to be received by the KRA for the purpose of KYC

23. A KRA shall receive the KYC documents of the Client from the Regulated Entity in terms of the International Financial Services Centres Authority (Anti Money Laundering, Counter-Terrorist Financing and Know Your Customer) Guidelines, 2022 or any circulars, directions etc. issued under the said Guidelines or any other relevant statute for Prevention of Money Laundering, from time to time.

Functions and obligations of the KRA

- 24. A KRA shall perform its functions and discharge its obligations as under-
 - (a) A KRA shall have electronic connectivity and with other KRA(s) in the IFSC in order to establish interoperability among KRAs.
 - (b) A KRA may also have electronic connectivity with the KRA(s) registered with other financial sector regulators to establish inter-operability with KRAs of other jurisdictions.
 - Explanation: Inter-operability means the ability of the KRA to determine whether the KYC documents of the Client are in the custody of another KRA.
 - (c) A KRA shall have a secure data transmission link with other KRA(s) and with each Regulated Entity that uploads the KYC documents on its system and relies upon its data.

- (d) A KRA shall be responsible for storing, safeguarding and retrieving the KYC documents and submit to the Authority or any other statutory authority as and when required.
- (e) A KRA shall carry out an independent validation of the KYC records uploaded onto its system by the Regulated Entity in such a manner as specified by the Authority from time to time.
- (f) Any information updated about a Client shall be disseminated by KRA to all intermediaries that avail of the services of the KRA in respect of that Client.
- (g) A KRA may prepare the operating instructions in co-ordination with other KRA(s) and issue the same to implement the requirements of these regulations.
- (h) KRA(s) shall ensure that the integrity of the automatic data processing systems for electronic records is maintained at all times.
- (i) A KRA shall take all precautions necessary to ensure that the KYC documents/records are not lost, destroyed or tampered with and that sufficient back up of electronic records is available at all times at a different place.
- (j) A KRA shall have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating its controls, systems, procedures and safeguards.
- (k) A KRA shall cause an audit of its controls, systems, procedures and safeguards to be carried out periodically and take corrective actions for deficiencies, if any and report to Authority.
- A KRA shall take all reasonable measures to prevent unauthorised access to its database and ensure audit
 of its systems, controls, procedures and safeguards at regular intervals as specified by the Authority from
 time to time.
- (m) A KRA shall ensure compliance with the provisions of the Digital Personal Data Protection Act, 2023, and any other applicable laws governing data protection.
- (n) A KRA shall have relevant checks built into its system to ensure that a Regulated Entity has access to the documents/records or information, of its Clients only and with the consent of the Client.
- (o) A KRA shall intimate to each Client after receipt of the KYC documents from the Regulated Entity, confirming the Client's details thereof.
- (p) A KRA shall maintain an audit trail of any upload/ modification /download regarding the KYC records of each Client.

Functions and obligations of a Regulated Entity

- 25. The Regulated Entity shall have the following functions and obligations
 - (a) The Regulated Entity shall perform the initial KYC/due diligence of the Client, upload the KYC information with proper authentication on the system of the KRA, furnish the scanned images of the KYC documents to the KRA, and retain the physical KYC documents.
 - (b) The Regulated Entity shall upload the KYC information on the system of KRA within 3 working days from the date of completion of KYC process or any other timeline as specified by the Authority from time to time.
 - (c) When the Client approaches another Regulated Entity subsequently, the Regulated Entity shall verify and download the Client's details from the system of KRA:
 - *Provided that* upon receipt of information on change in KYC details and status of the Clients by the Regulated Entity or when it comes to the knowledge of the Regulated Entity, at any stage, the Regulated Entity shall be responsible for uploading the updated information on the system of KRA and retaining the physical documents.
 - (d) A Regulated Entity shall not use the KYC data of a Client obtained from the KRA for purposes other than it is meant for; nor shall it make any commercial gain by sharing the same with any third party including its affiliates or Associates.
 - (e) A Regulated Entity shall have the ultimate responsibility for the KYC of its Clients, by undertaking enhanced KYC measures commensurate with the risk profile of its Clients.
 - (f) The Regulated Entity shall integrate its systems with the KRA to facilitate seamless movement of KYC documents to and from the Regulated Entity to the KRA.

Provided that the Authority may, after taking into consideration the relevant factors, exempt certain classes of Regulated Entities from the applicability of these regulations.

Sharing of KYC information in the financial sector

- **26.** (1) A KRA may permit access to its systems to the entities regulated by other financial sector regulators specified by the Authority, for undertaking KYC of their Clients.
 - (2) A KRA may connect its systems to any central KYC registry authorised by the Central Government for the purpose of collation and sharing of the KYC information in the financial sector.

CHAPTER IV

INSPECTION

Inspecting Authority

- **27.** (1) The Authority may *suo motu* or upon receipt of information or complaint at any time appoint one or more persons as Inspecting Authority to undertake the inspection of the books, accounts, records, documents, infrastructure, procedures, systems of a KRA, for any purpose, including the purposes as specified under subregulation (2).
 - (2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include, -
 - (a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained in the manner as required under these regulations;
 - (b) to ensure that the provisions of the Act, the regulations and circulars made thereunder, are complied with;
 - (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established or are being followed by the KRA to fulfil its obligations under these regulations;
 - (d) to ascertain whether any circumstances exist which would render the KRA unfit or ineligible;
 - (e) to inquire into the complaints received from the investors, Clients, other market participants, or any other person on any matter having a bearing on the activities of the KRA; and
 - (f) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of investors or the financial services market in the IFSC.
 - (3) Before undertaking an inspection under sub-regulation (1), the Inspecting Authority shall issue a prior notice to the KRA:

Provided that where the Inspecting Authority is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with the requirement of such notice.

Obligations upon inspection by the Authority

- **28.** (1) Where an inspection of a KRA is undertaken by the Authority, such KRA and every Principal Officer, director, chairperson, CEO, key managerial personnel, officer, employee and any agent of the KRA shall provide all assistance and cooperate with the Inspecting Authority and shall furnish books of accounts, records and documents to the Inspecting Authority with such statements and information relating to its activities within such time as decided by the Inspecting Authority.
 - (2) The KRA shall give all assistance as may be required in connection with the inspection and allow the Inspecting Authority to have reasonable access to its premises and extend reasonable facility for examining any books of accounts, records and documents in its possession, and also provide copies of records or documents or other material which in the opinion of the Inspecting Authority are relevant for the purposes of the inspection.
 - (3) The Inspecting Authority, in the course of inspection, shall be entitled to examine or record the statements of any Principal Officer, director, chairperson, CEO, key managerial personnel, officer, employee and any agent of a KRA.
 - (4) It shall be the duty of every Principal Officer, director, chairperson, CEO, key managerial personnel, officer, employee and any agent of a KRA to give to the inspecting officer all assistance in connection with the inspection, which the inspecting officer may require.

29. Inspection by third parties

(1) The Authority may appoint a professional to inspect the books of account, records, documents infrastructures, systems and procedures or affairs of a KRA:

Provided that such professional so appointed shall have the same powers of an Inspecting Authority:

Provided further that a KRA and its employees shall have the same obligations towards the third party professional as they have towards the Inspecting Authority, as specified in regulation 27 with respect to such inspection.

(2) The Authority shall be entitled to recover expenses including fees paid to the third party professional as may be incurred by it relating to such inspection from the KRA.

30. Submission of report

The Inspecting Authority shall submit an inspection report including interim reports to the Authority, and the Authority may take such action as it may deem fit and appropriate, on such report:

Provided that if directed to do so by the Authority, the Inspecting Authority may submit an interim report.

CHAPTER V

ACTION IN CASE OF DEFAULT

Suspension, cancellation of registration or any other actions

- **31.** (1) A KRA who contravenes any of the provisions of these regulations, guidelines, circulars or direction made thereunder, shall be liable for enforcement action under the Act, including suspension or cancellation of registration.
 - (2) No enforcement action as referred to in sub-regulation (1) shall be taken without giving reasonable opportunity to the KRA to make its submissions.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

32. Power to call for information

The Authority may call for any information, documents or records from a KRA.

33. Power to remove difficulties

In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through guidance notes or circulars.

34. Power to relax strict enforcement of the regulations

- (1) The Authority may, for reasons to be recorded in writing, in the interest of development of financial services market in the IFSC, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
- (3) The Authority shall process such application within thirty days of the date of receipt of the application, complete in all respects, including responses to clarifications sought and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant.

35. Power to specify procedures and issue clarifications

For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements etc. by way of circulars or guidelines or directions.

Schedule-I

CODE OF CONDUCT

(Regulation 12)

- 1. A KRA shall make all efforts to protect the interest of its Clients.
- 2. A KRA shall maintain high standards of integrity, dignity and fairness in the conduct of its business.
- 3. A KRA shall fulfill its obligations in a prompt, ethical and professional manner.
- 4. A KRA shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- 5. A KRA shall ensure that any change in registration status/any penal action taken by the Authority or any material change in financial position which may adversely affect the interests of Clients is promptly displayed on its website.
- 6. A KRA shall not divulge to anybody either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about the Clients which has come to its knowledge, without taking prior permission of its Clients, except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.

- 7. A KRA shall not indulge in any unfair competition.
- 8. A KRA shall display on its website adequate and appropriate information about its business, including contact details of persons and services available to Clients.
- 9. A KRA shall ensure that grievances of Clients are redressed in a timely and appropriate manner.
- 10. A KRA shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the information provided to the Clients and intermediaries is not misleading.
- 11. A KRA shall abide by the provisions of the Act and the rules, regulations issued by the Government and the Authority, from time to time, as may be applicable.
- 12. A KRA shall not make untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Authority.
- 13. A KRA shall ensure that the Authority is promptly informed about any action, legal proceeding, etc., initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations and directions of the Authority or of any other regulatory body.
- 14. A KRA or any of his employees shall not render, directly or indirectly, any investment advice about any security in the publicly accessible media.
- 15. A KRA shall not make a recommendation to any Client who might be expected to rely thereon to acquire, dispose of or retain any securities.
- 16. A KRA shall ensure that any person it employs or appoints to conduct business is fit and proper and otherwise qualified to act, in the capacity so employed or appointed including having relevant professional training or experience.
- 17. A KRA shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, its Clients from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.
- 18. A KRA shall be responsible for the acts or omissions of its employees in respect to the conduct of its business.
- A KRA shall provide adequate freedom and powers to its Compliance Officer for the effective discharge of its duties.
- 20. A KRA shall ensure that the senior management, particularly decision makers have access to all relevant information about the business on a timely basis.
- 21. A KRA shall ensure that good corporate policies and corporate governance are in place.
- 22. A KRA should have adequately trained staff and arrangements to render fair, prompt and competence services to its Clients.
- 23. A KRA shall develop its own internal code of conduct for governing its internal operations and laying down its standards of appropriate conduct for its employees and officers in the carrying out of their duties. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards, integrity, confidentiality, objectivity, avoidance of conflict of interests, disclosure of shareholdings and interests, etc.
- 24. A KRA shall not be party to—
 - (a) creation of false market;
 - (b) price rigging or manipulation;
 - (c) passing of unpublished price sensitive information in respect of securities which are listed and proposed to be listed in any stock exchange to any person.
- 25. A KRA shall maintain proper inward and outward system for all types of mail received and dispatched in all forms.
- 26. A KRA shall implement an automated system with validation mechanisms minimizing manual intervention to ensure data accuracy.
- 27. A KRA shall not indulge in manipulative, fraudulent practices in the process of identification, verification and updation of a Client's KYC information with a view to distort market equilibrium or making personal gains.

K. RAJARAMAN, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./37/2025-26]